महिला बाल केन्द्रित हमर गांव हमर योजना (15वीं वित्त आयोग 2022–26) प्रक्रिया मार्गदर्शिका

पंचायत विकास योजना

TPIPRD RAIPUR

unicef

ग्राम पंचायत विकास योजना एक पंचायत स्तरीय एकीकृत नियोजना प्रक्रिया है जिसका निर्माण एक सहभागी योजना निर्माण प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें ग्राम के सभी निवासियों की समस्याओं एवं मुद्दों को पहचान कर उनके विश्लेषण एवं निराकरण के उपाय ग्राम वासियों एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर किया गया है।

ग्राम पंचायत के नियोजन के दौरान लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा हर वर्ग की अपेक्षओं को पूरा करने के लिए आम सभा का आयोजन कर सभी के मुद्दों को समाहित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न मुद्दों /समस्याओं की पहचान के बाद इन समस्याओं के विकल्पों पर ग्रामीणों तथा ग्राम के विकास में कार्यरत सभी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी। चर्चा कर समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प पर किस विभाग की योजना या अन्य मद से राशि की व्यवस्था की जा सकेगी इस पर आम सहमति बनायी गयी, जिससे ग्राम पंचायत का विकास संभव हो सकेगा।

महिला एवं बाल विकास योजना अवधारणा एवं उदेश्यः–

किसी भी समाज ,ग्राम ,ग्राम पंचायत, को विकसित आदर्श पंचायत बनाने की बात तबतक अधुरी होगी जबतक की उस समाज ,ग्राम ,ग्रंम पंचायत ,के बच्चों का सर्वांगीण विकास न हो। यू कहें कि विकसित बच्चों के बगैर विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक हीं कहा गया है कि आज के बच्चे हीं कल के भविश्य है । इन्हीं सब बातों को ध्यान मे रखते हुए बाल विकास योजना तैयार कर उसके कियान्वयन करने की बात ध्यान मे रखकर सभी ग्राम पंचायतों में महिला एवं बाल विकास योजना तैयार करने का प्रयास 2015 से किया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर कार्यरत वैसे विभाग के सेवाकर्मी जो बच्चों के लिए बच्चों के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से काम करते है एवं करने के लिए जिम्मेवार है, यथा – स्वास्थ्य ,पोषण ,शिक्षा ,स्वच्छता , बाल संरक्षण आदि के साथ मिलकर समन्वय बनाते हुए बच्चों ,गर्भवती एवं धात्री माताओं के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों मे आने वाले परेशानियों को चिन्हित कर उसे दूर करने हूतु साझी समझ के साथ आवश्यक समाधान करने हेतु एक स्पष्ट कार्य योजना की रुप रेखा (महिला बाल विकास योजना) तैयार कर सकें ।

इस प्रकिया में आम जन के सुझावों को भी समाहित करते हुए ग्राम पंचायत के नेत्रित्व मे तैयार बाल विकास योजना के कियान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायत के बच्चों गर्भवती एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास करते हुए ग्रम पंचायत को एक विकसित एंव आदर्श बालमित्र पंचायत बनाना महिला एवं बाल विकास योजना का मुख्य उदेश्य है जो कि एकीकृत जीपीडीपी– हमर गांव हमर योजना में एक अध्याय के रुप में जोड़ा जायगा।

जी.पी.डी.पी निर्माण में सहयोग हेतु विभागीय ढांचाः

जी.पी.डी.पी गाईडलाइन 2015 यथा संशोधित 2018 के आलोक में राज्यों में जी.पी.डी.पी तैयार करने हेतु प्रत्येक स्तर पर सहयोगी ढांचा सृजित करने का प्रावधान है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में निम्न व्यवस्था की गई है:–

- उच्च स्तरीय निगरानी समिति
- जी.पी.डी.पी सेल
- जिला सोजना निर्माण कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप)
- जिला योजना निर्माण समिति
- जिला योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति
- जनपद/ब्लॉक योजना निर्माण कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप)
- जनपद पंचायत योजना निर्माण समिति
- जनपद पंचायत कार्ययोजना क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति
- ग्राम पंचायत प्लानिंग फेसिलिटेशन टीम (जी.पी.पी.एफ.टी)

इन समितियों का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कन्वर्जेन्ट GPDP निर्माण प्रक्रिया को समर्थन तथा समन्वय प्रदान करना है। इन समितियों की संरचना अधिकार एवं कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी अनुबंध में दी गई है (देखें अनुबंध–1, 2 एवं 3)

जी.पी.डी.पी. के लिए वित्तीय संसाधन का लिफाफा

ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध संसाधन टाइड या अनटाइड हो सकते हैं। यदि फंड किसी विशेष योजना से है, तो उपयोग और अनुमोदन प्रक्रियाओं के बारे में शर्तता होगी। ग्राम पंचायत यदि मामले में संसाधन लिफाफे को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सूचित नहीं किया जाता है, तो वे विगत वर्ष की वित्तीय बावंटन में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ समान राशि की अगली कार्ययोजना बना सकते हैं। योजना हेतु निम्नलिखित स्त्रोतों से ग्राम पंचायत को संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं:–

- स्वयं के स्त्रोत राजस्व (OSR)– पिछले तीन वर्षों के वास्तविक आधार पर अनुमानित किया जाना है
- केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (वर्तमान 15वां)
- राज्य वित्त आयोग अनुदान
- मनरेगा श्रम बजट
- अन्य केन्द्र तथा राज्य संपोषित योजनाएं
- वे योजनाएं जिसके लिए ग्राम पंचायत निर्णय लेता हो जैसे कि सेस रॉयल्टी आदि
- कॉरपोरेट सोसल रिस्पान्सिबिलिटी (CSR)अनुदान
- स्वैच्छिक अनुदान/दान
- बैंक लिभरेजिंग से प्राप्त निधि

15वीं वित्त आयोग अनुदान एवं जी.पी.डी.पी

14वीं वित्त आयोग (2015–20) की अपेक्षा 15वीं वित्त आयोग की अनुसंशा में थोड़ी भिन्नता है। जहां एक ओर 14वीं वित्त आयोग का पूरा अनुदान सिर्फ ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पर भेजा गया था वहीं 15वीं वित्त आयोग ने 2021–26 के लिए अपने अनुदान का प्रावधान पंचायती राज के तीनों स्तरों पर अर्थात जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लिए किया है। 15वीं वित्त आयोग द्वारा यह अनुसंशा की गई है कि अनुदान की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा के भीतर रहते हुए अंतिम रूप से बटवारे का प्रतिशत तय करने हेतु राज्य वित्त आयोग को अधिकृत किया है। यह क्रमशः इस प्रकार किया है:–

	15वीं वित्त अनुशंसित बंटवारे का प्रतिशत	छ0ग0 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित
जिला पंचायत	5–15%	10%
जनपद पंचायत	10–25%	15%
ग्राम पंचायत	70–85%	75%

आयोग ने यह भी कहा है कि तीनों स्तरों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले कुल अनुदान का 40 प्रतिशत भाग बेसिक अनाबद्ध (Basic Untied) अनुदान तथा 60 प्रतिशत भाग आबद्ध (tied) के रूप में दिया जायगा। वित्त आयोग से प्रप्त कुल अनुदान को ग्राम पंचायतें निम्न रीति से व्यय कर सकेगी:–

1	आबद्ध अनुदान (60%)	
1.1	ग्रामीण पेय जलापूर्ति	30%
1.2	ग्रामीण स्वच्छता एवं जल संरक्षण	30%
2	अनाबद्ध अनुदान (40%)	
2.1	नये भौतिक अधोसंरचना	24%

2.2	पुराने अधोसंरचनाओं के रख–रखाव एवं मरम्मत	8%
2.3	सामाजिक विकास मुद्दों खासकर महिला एवं बच्चों से जुड़े	8%
	कुल	(100%)

महिला एवं बाल विकास ग्राम पंचायत विकास योजना का लक्ष्य (शामिल मुख्य विन्दु) :–

निम्न सभी परिणाम (आउटकम) सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी) की प्रतिपूर्ति में सहायक हैं अतः यह आवश्यक होगा कि जी. पी.डी.पी तैयार करते समय इनपरिणामों की प्राप्ति में आवश्यक एवं सहायक गतिविधियां तय कर पंचायत/विकास खंड/जिला योजना में शामिल किया जाय।

स्वास्थ्य *(Health)*

1. सभी गर्भ का रजिस्ट्रेशन *(Registration of all pregnancy)*
2. शत–प्रतिशत टीकाकरण हो। *(Universal Immunization)*
3. शत–प्रतिशत प्रसव पूर्व/प्रसव पश्चात जाँच हो। *(Universal ANC/PNC)*
4. सभी प्रसव संस्थागत हो एवं सभी योग्य लाभार्थी को जननी बाल सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो। *(Universal Institutional delivery and JBSY benefit to mothers)*
5. प्रत्येक ऑगनवाडी केन्द्र पर भी0 एच0 एस0 एन0 डी0 का नियमित आयोजन सुनिश्चित हो। *(Regular VHSND at every Anganwari centre in the block)*
6. सभी **PHC , APHC, HSC** पर आवश्यक आधारभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित हो। *(Universal basic infrastructural availability in PHC/APHC and HSC.)*
7. सभी प्राइवेट क्लिनिक , अलट्रासोनोग्राफी केन्द एवं दवा दुकान का संम्बधित पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हो। *(All Private Clinics, Ultrasonography Centers and Medical Shops inspected by concerned officer .)*

समेकित बाल विकास सेवा *(ICDS)*

8. 0–5 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नियमित वजन किया जाता हो एवं बच्चों के अभिभावकों को नियमित यथोचित परामर्श दिया जाता हो। *(Universal monthly weighing of 0-5 years of child and regular counseling.)*
9. सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों का शत प्रतिशत सामाजिक अंकेक्षण हो। *(Social Audit of every Anganwari centre as per norms)*
10. सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में हर बालिका के जन्म पर बेटी जन्मोत्सव होता हो । *("Beti Janmotsav " on every girl child birth at every Anganwari centre.)*
11. सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, खेल साम्रगी एवं पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर उपलब्ध हो। *(Availability of Teaching, Playing material and water filter at every Anganwari centre.)*
12. सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का वितरण ससमय होता हो। *(Universal and Timely distribution of THR at every Anganwari centre.)*
13. सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में सभी बच्चों को पोषाक राशि प्राप्त हो एवं बच्चे पोषाक पहन कर आते हों। *(All children at every AWC get money for uniform and coming to AWC daily in uniform.)*

शिक्षा *(Education)*

14. सभी बच्चों का विद्यालय मे शत प्रतिशत नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव हो। *(Universal enrolment, regular attendance and retention of children (6-14 years) in schools.)*
15. प्रत्येक विधालय में बाल संसद एवं मीना मंच सक्रिय और कार्यशील हो। *(Active and vibrant Bal Sansad and Meena Manch in schools.)*
16. प्रत्येक विधालय में मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से संचालित हो एवं पी0टी0ए0 की नियमित बैठक हो साथ ही इनके द्वारा मध्याह्न भोजन का नियमित अनुश्रवण होता हो। *(Proper manegment of MDM, regular meeting of PTA and monitoring of MDM by PTA in ever schools.)*
17. सभी विधालयों में खेल सामग्री उपलब्ध हो एवं बच्चे उनका उपयोग करते हो। *(Universal Availability of Playing material in schools and their use by students in every schools.)*

18. सभी योग्य **SC/ST** एवं अल्पसंख्यक छात्रों को ससमय छात्रवृति का भुगतान होता हो । *(Timely distribution of Scholarship to eligible SC/ST and minority students.)*

19. कस्तूरबा गाँधी बालिका विघालय (के0जी0बी0भी0) नियमानुसार संचालीत हो। *(KGBV running as per norms.)*

20. टोला सेवक एवं तालिमी मरकज पदस्थापित हो एवं प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करते हो। *('Tola Sevak' and 'Talimi Markaz' are appointed and doing their given duties .)*

बाल सुरक्षा *(Child Protection)*

21. शत–प्रतिशत जन्म निबंधन एवं प्रमाणीकरण हो। *(Universal registration & Certification of births.)*

22. सभी ईट भट्ठे बाल श्रमिक मुक्त हो एवं मुक्त बाल श्रमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जुडे हों। *(Child labour free brick kilns and enrolment of every freed child labour within main stream of education.)*

23. कोई बाल विवाह की घटना नहीं हो *(No incidents of child marriage.)*

24. कोई यौन हिंसा की घटना नहीं हो *(No incidents of child sexual violence.)*

25. सभी जरुरतमंद अनाथ बच्चे विशेष सरकारी देखरेख गृह में दाखिल हों *(All needy and orphans are admitted in Special Care Home of Govt.)*

स्वच्छता *(Sanitation)*

26. सभी धरो में स्वच्छ भारत अभियान से शौचालय की उपलब्धता हो। *(Availability of Individual Household Latrines through SBM.)*

27. सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों, विधालयों एवं उप–स्वास्थ्य केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता हो एवं नियमित रूप से उपयोग होता हो। *(Universal availability of Toilets and Drinking Water at AWCs, Schools, HSCs and their regular use.)*

ग्राम पंचायत विकास योजना (हमर गांव हमर योजना) निर्माण के आश्यक कदम

पहला कदमः ग्राम पंचायत प्लानिंग सहयोगी टीम (GPPFT) का गठन

इस बैठक में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत सचिव, सभी वार्ड प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में हमर गांव हमर योजना के उद्देश्यों महिला एवं बाल विकास योजना के मुख्य लक्ष्यों पर विशेषज्ञ विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए पंचायत की राय से योजना निर्माण के लिए सहयोगी टीम **(GPPFT)** का गठन करेंगे जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेंगे तथा पंचायत सचिव इस दल के समन्वयक होंगे। इस टीम में वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, ए.एन.एम, विद्यालय शिक्षकों, स्थानीय युवा स्वयंसेवक, स्वयं सहायता समूह के लीडर, गांव में रहने वाले रिटायर सरकारी सेवक आदि को शामिल किया जायगा। योजना सहयोगी दल **(GPPFT)** के सदस्यों की संख्या 10–15 की होगी। पंचायत सचिव इनके नाम तथा संपर्क नं0 के साथ एक सुची तैयार कर जनपद स्तर पर हमर गांव हमर योजना के नोडल अधिकारी तथा जनपद कार्यलय द्वारा नामित पंचायत के प्रभारी फेसिलिटेटर को लिखित रुप में सूचित करेंगें।

दूसरा कदमः सहयोगी दल का योजना निर्माण प्रक्रिया पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण

यह योजना प्रक्रिया आरंभ के पहले का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है जिसमें सहयोगी दल को हमर गांव हमर योजना तैयार करने के लिए किये जाने वाली प्रक्रियाओं एवं तकनीक पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जनपद कार्यालय द्वारा नामित फेसिलिटेट तथा जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जायगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान द्वारा योजना निर्माण के दौरान किये जाने वाले प्रक्रियाओं/गतिविधियों का पूर्ण करने की समयसीमा के साथ एक कैलेन्डर तैयार किया जायगा जिसके आधार पर **GPPFT** प्रक्रिओं को पूरी करेंगे जिसका खांका अनुबंध में दिया गया है (देखें अनुबंध–4)

तीसरा कदमः वातावरण निर्माणः–

भागीदारी पूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए वातावरण निर्माण सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। **GPDP** के पिछले पांच वर्षों में अनुभव किया गया कि योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है। इसलिए आवश्यक है कि समुदाय को जुटाने के लिए **GPPFT** सदस्य आपस में दो भाग में बंटकर तिरछे काट में गांव का भ्रमण करते हैं

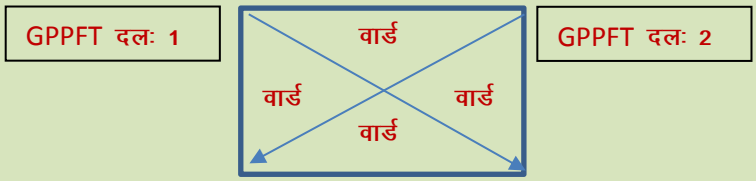

इस दौरान वे गांव में मौजूद आधारभूत संरचनाओं जैसे आंगनबाड़ी भवन, हैन्ड पम्प, विद्यालय आदि का अवलोकन कर उसके वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हैं साथ ही हमर गांव हमर योजना से जुड़े आकर्षक नारों का दिवाल लेखन करते हैं और इस बीच महिलाओं और बच्चों से संपर्क कर उन्हें योजना में उनकी भागीदारी से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए वार्ड स्तर पर होने वाले महिला सभा एवं बाल सभा में आने को आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें यह भी बतलाते हैं की बैठक में भाग लेते समय कोविड 19 के बावत सुरक्षा उपायों जैसे कि चहरे को मास्क से ढंकना, दो मीटर की शारीरिक दूरी तथा हाथों की बारंबार सफाई को घ्यान में रखना है।

चौथा कदम आंकड़ों का संग्रह

जी.पी.डी.पी. तैयार करने के लिए आंकड़ा जरूरी है। इससे योजना सहयोगी दल (GPPFT) को पंचायत में उपलब्ध बुनियादी ढांचों की पहचान करने तथा सेवाओं और सुविधाओं में विद्यमान कमियों की पहचान करने में मदद मिलेगी साथ ही महिला बाल विकास विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता एवं संरक्षण आदि में प्रमुख कमियों का पता लग पायगा।

आंकड़े दो स्त्रोतों **(i)** प्राथमिक और **(ii)** द्वितीयक स्त्रोत से एकत्र किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े ऐसे होते हैं जो जी.पी.पी.एफ.टी द्वारा सर्वेक्षण तथा सहभागी ग्रामीण आंकलन ;क्त।द्ध के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे और इसके बाद महिलाओं और बच्चों के साथ वार्ड स्तरीय बैठक में फोकस ग्रुप डिस्कशन ;थ्ळक्द्ध होगा जिसमें अलग–अलग विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, संरक्षण आदि से जुड़ी समस्याओं तथा सेवाओं और सुविधाओं के गैप की पहचान की जायगी और वार्ड की प्राथमिकताएं तय की जायेंगी। द्वितीयक आंकड़े ऐसे होते हैं जो अन्य स्त्रोत/एजेन्सी द्वारा एकत्र किये जाते हैं जैसे जनगणना, मिशन अनत्योदय के तहत तैयार आंकड़े, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011 के आंकड़े, सरकारी विभागों के आंकड़े एवं विलेज प्राकफाइल महत्वपूर्ण द्वितीयक आंकड़े हैं जिनका इस्तेमाल जी.पी.डी.पी तैयार करते समय किया जा सकता है लेकिन इससे ग्राम पंचायत के बारे में पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी इसलिए सलाह दी जाती है कि ळच्च्थ्ज को खुद बुनियादी आंकड़े एकत्र करना चाहिए। पंचायते अपना आधारभूत डेटा बनाएं और बार–बार इसे अद्यतन करते रहें। गैप का पता लगाने के लिए द्वितीयक आंकड़े का इस्तेमाल करें।

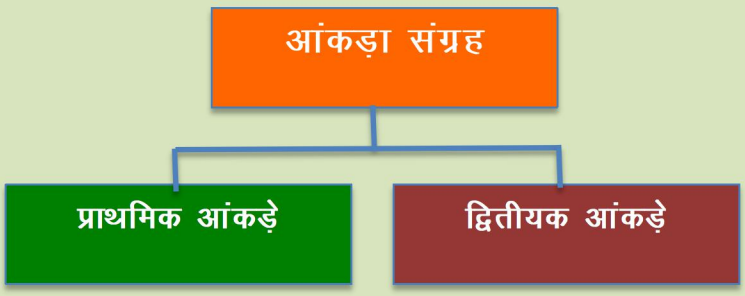

1. पी.आर.ए
2. फोकस ग्रुप डिसक्शन
3. पारिवारिक सर्वेक्षण
4. ग्राम स्तरीय फेसिलिटी सर्वे

1. मिशन अन्त्योदय सर्वे
2. समाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011
3. जनगणना 2011
4. लाईन डिपार्टमेन्ट के आंकड़े

(i) गृह सर्वेक्षणः प्रत्येक घर का दौर कर आंकड़े जुटाने वाले गृह सर्वेक्षण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारे मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि गृह सर्वेक्षण कुछ विशेष सामाजिक समूहों के साथ ही किया जाना चाहिए जैसे कि विधवाएं, दिव्यांग, संकटग्रस्त परिवार, अति कुपोषित बच्चे, अनाथ बच्चे, बेसहारा आदि। फैसिलिटेटर को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल आवश्यक जानकारी ही एकत्र की जाए ताकि इन आंकड़ों का मिलान करना आसान हो जाए। घर के सदस्यों के डाटा को साक्षात्कार से एकत्र किया जा सकता है। इस कवायद के जरिए सारी जानकारी एकत्र करने के बाद भरे हुए आंकड़ों को संकलन पत्र में डाला जायगा और उसी के अनुसार लोगों की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए विश्लेषण किया जायगा। पंचायत द्वारा डेटा डिजिटल संकलन में सहायक हो सकते हैं।

(ii) ग्राम स्तरीय सुविधा सर्वेक्षणः गांव में महिला एवं बाल विकास हेतु उपलब्ध विभिन्न सेवा/सुविधा प्रदान करने वाले ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए विषयवार जानकारी एकत्र की जा सकती है नीचे टेबल में दी गई जानकारी की सांकेतिक सुची है लेकिन सीमित नहीं

विषय/प्रक्षेत्र	सूचना का क्षेत्र	सुविधा केन्द्र का नाम	जिम्मेवार कार्यकर्ता
Health स्वास्थ्य	मातृ शिशु स्वास्थ्य किशोर/किशोरी स्वास्थ्य जननी सुरक्षा योजना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य उपकेन्द्र	ए.एन.एम, एल.एच.वी तथा मितानिन
Education शिक्षा (विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा)	विद्यालय पूर्व शिक्षा में कुल रजिस्टर्ड (3–6 वर्ष) धीमी गति से सीखने वाले बच्चे संज्ञानात्मकता में कमी वाले बच्चे having slow mortar	आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
	प्राथमिक कक्षा में नांमांकित बच्चे (लड़का/लड़की) माघ्यमिक कक्षा में नामांकित बच्चे (लड़का/लड़की) लगाातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चे (लड़का/लड़की) बीच में शालात्यागने वाले बच्चे (लड़का/लड़की) विद्यालयों में औसत उपस्थिति दर मिड डे मील ग्रहण करने वाले बच्चे (सूखा अनाज/पका हुआ भोजन विद्यालय में अलग–अलग शौचालय की उपलब्धता	विद्यालयों से	प्रधान शिक्षक/प्रभारी शिक्षक
Nutrition पोषण	अति गंभीर रुप से कुपोषित बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री
	साधारण कुपोषित बच्चे		
	लौह तत्व की कमी वाली		

	किशोरीयां		
	गर्भवती महिला		
	धात्री माताएं		
	पुरक पोषाहार लेने वाले 3–6 आयु के बच्चे		
	टेकहोम राशन लेने वाली महिलाएं एवं किशोरियां		
	पूर्ण टीका प्राप्त बच्चे बकाया लिस्ट के आधार पर टीकाकरण योग्य बच्चे		
	बाल अनुकूल शैचालय		
Water & Sanitation पेयजल एवं स्वच्छता	आम स्थलों का सेनिटाइजेशन	पंचायत कार्यालय	पंचायत सचिव
	अकार्यरत पेयजल स्त्रोत		
	पेयजल की गुणवत्ता		
	जलनिकास हेतु नाला		
	कचड़ा निस्तारण की व्यवस्था		
	सड़कों और गलियों की सफाई		
Child Protection बाल सुरक्षा	बालश्रम में शामिल बच्चे अनाथ और बेसहारा बच्चे बाल विवाह की घटनाएं बच्चों के साथ कठोर हिंसात्मक कार्रवाइ लड़कियों के साथ लैगिक एवं यौन उत्पीड़न की घटनाएं	पंचायत कार्य्रालय	पंचायत सचिव

(iii) सहभागी ग्रामीण आंकलनः संसाधनों, समस्याओं, क्षमताओं और लोगों की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पी.आर.ए तकनीकों का एक सेट है हलांकि ये तकनीक लोगों की चर्चा में सक्रीय भागीदारी, साझा करना, विश्लेषण करना और विभिन्न उपयुक्त विकल्प तलाशने का तरीका है। पी.आर.ए का मान्यता है कि सामूहिक ज्ञान और कार्रवाई परिवर्तन का वाहक है। पी.आर.ए. के तकनीकों की संख्या काफी है लेकिन महिला एवं बाल विकास को केन्द्रित जी.पी.डी.पी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण नीचे बांटे गये हैंः–

सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रणः एक तरीका है जो बसाहत के भौतिक और प्रकृतिक संसाधनों के स्थान स्पष्ट तस्वीर देता है। फेसिलिटेटर को स्थानीय लोगों के परामर्श से गाँव के केन्द्र बिंदु में एक बड़ी जगह की पहचान करनी चाहिए जहाँ विभिन्न कोनों के लोगों को एकट्ठा किया जा सकता है। मुखर अभ्यास के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिएः

- जीमन की सतह को साफ करें
- लोगों को एक बड़ा गोलाकार बनाने को कहें अंदर स्टिक के सहारे सतह पर गोलाकार बनाएं और लोगों से सर्कल के अंदर न आने के लिए कहें जब तक कि इसकी आवश्यकता न हो।
- हाथ में एक बड़ी छड़ी पकड़ कर लाइन खींचने की कोशिश करते हुए कहें कि जब हम गाँव आ रहे थे तो क्या यह सड़क आपके गाँव तक आ रही थी? यह सड़क कहाँ जाती है? जानबूझ कर अनजान बनते हुए पूछें क्या मैं सही हूँ? यह स्वचालित रूप से उन्हें सही करने के लिए उकसाएगा तब धिरे से लोगों को छड़ी सौंप दिया जाय और उन्हें सड़कों का नक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

- समूह से अन्य कुछ सदस्य को लाइन के उपर रंगोली फैलाने के लिए कहें ताकि यह आकर्षक और सभी के लिए दृश्यमान हो सके।
- उन्हें तीर के निशान से उत्तर दिशा दर्शाने को कहें।
- एक बार सड़कें दर्शाने के बाद उन्हें अलग–अलग वार्ड/पाड़ा दिखने के लिए कहें, भौतिक संसाधनों जैसे स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सरकारी राशन दुकान, पेयजल स्त्रोत, मंदिर, डाकघर, बैंक, मंदिर, पंचायत कार्यालय, कुआं, ट्यूबवेल, तालाब और अन्य सामुदायिक भवन दिखाने को कहें।
- फिर से उन्हें प्राकृतिक संसाधना जैसे नदी, जंगल, बागीचे, बांध, खेत, गोचर आदि दिखाने को कहें।
- एकबार जब मानचित्रण की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उन्हें मानचित्र देखने के लिए कहें और तुलना करें कि वह कौन सा बसावट है जहाँ भौतिक संसाधन अन्य बसाहतों की तुलना में अधिक केन्द्रित है और क्यों? वे सुविधा और सेवाओं का उपयोग कहाँ से करते हैं? सेवाओं तक पहुँचने में क्या समस्याएं हैं?
- फेसिलिटेअर प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा करेगा, विभिन्न संसाधनों को सुचीबद्ध करेगा।
- एक बार चर्चा के दौरान मानचित्र की प्रतिलिपि उपस्थितों की अनुमति के साथ कागज पर उतार लें। कागज के नक्शे पर तारीख डालें और गाँव के मानचित्रण में शामिल समुदाय के सदस्यों का नाम लिख लें। इस मानचित्र को संदर्भ के लिए फोकस ग्रुप डिसक्शन में करें।

मैंपिंग के दौरान क्या न करें

- नक्शे पर चर्चा दौरान अपना जबाव न दें लोगों को बोलने दें आप मानचित्र पर चर्चा करने और उसे सही करने पर ध्यान केन्द्रित करें।
- चर्चा में भाग लेने के लिए किसी को हतोत्साहित न करें
- जानकारी को अन्य लोगों के साथ त्रिकोणीकरण/ट्राइंगुलेट करें। ऐसा करने के लिए सहभागियों से प्रश्न करें कि इन्होंने जो जानकारी साझा की वह सही है?

iv फोकस ग्रुप डिक्शन **(FGD)**: ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित किसी विशेष विषय/मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समान पृष्ठभूमि या अनुभवों के लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका है। यह समस्याओं पर लोगों की धारणाओं को समझने और संभावित समाधानों के बारे में विचार करने में मदद करेगा। यह एक बड़े समूह के साथ नहीं किया जाना चाहिए 10–12 प्रमुख सूचनादाताओं का एक छोटा समूह **(FGD)** के लिए आदर्श होगा। गुणवत्तापूर्ण **FGD** के लिए निम्न जरुरी चीजें उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए:–

- अपना परिचय दें और दूसरों को परिचय देने के लिए कहें, प्रतिभागियों का नाम नोट करें, चर्चा के उद्देश्यों की ब्याख्या करें
- खुले हुए प्रश्न करें ताकि लोगों को अपने विचारों को समझने और साझा करने का मौका मिले
- आपस में मुद्दे पर विश्लषण को बढ़ावा दें
- सबों को चर्चा तथा विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करें
- मुखर प्रतिभागियों को रोकें और दूसरों को मौका देने को कहें
- लंबी चर्चा को बढ़ावा न दें 45 मिनट से 1 घंटे का समय पर्याप्त होगा
- चर्चा समाप्त होने पर बन्द करें और प्रतिभागियों के नाम, चर्चा का स्थान और दिनांक और समय के साथ चर्चा पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करें।

पांचवां कदमः स्थितिपरक विश्लेषण तथा प्रतिवेदन की तैयारी

स्थिति का विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय के सहभागिता से हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों की पहचान की जाती है। स्थिति विश्लेषण ग्राम पंचायत के विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए संदर्भित करता है। मुख्य रुप से विभिन्न विकास के मुद्दों पर ग्राम पंचायत के मौजूदा परिदृश्य का आकलन करना आवश्यक है। यह बुनियादी सुविधाओं, और सेवाओं में अंतराल पर बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में अंतराल पर बुनियादी जानकारी भी प्रदान करता है। यह विश्लेषण **GPDP** में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के आधार के रुप में कार्य कर सकता है।

स्थिति विश्लेषण का उद्देश्य
ग्राम पंचायत के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के वर्तमान परिदृश्य के विषय पर गहरी जानकारी एकत्र करना
ग्राम पंचायत के भीतर उपब्ध सेवाओं और सुविधाओं की गुणवत्ता का आंकलन करना
स्थिति विश्लेषण के दौरान घ्यान में रखी जाने वाले प्रश्नः

1. ग्राम पंचायत की मौजूदा स्थितियों और मानव विकास की स्थिति जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, कमजोर समूहों की स्थिति आदि से संबंधित पहचान होनी चाहिए।
2. मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।
3. बुनियादी सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं जैसे पीने के पानी, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क की स्थिति, सफाई आदि में कमियों और अंतराल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत में मौजूद होनी चाहिए।
4. स्थितिजन्य विश्लेषण के संचालन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र किया जाना चाहिए, विश्लषण और चर्चा के रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए। विश्लेषण लोगों के ज्ञान द्वारा मान्य डेटा पर आधारित होना चाहिए। वेब और मोबाइल फोन सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

परिस्थिति विश्लेषण के बाद **GPPFT** दल द्वारा ग्राम पंचायत में महिला बाल विकास हेतु उपलब्ध सेवाओं तथा सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं एवं कमियों लोगों की विकास प्राथमिकताओं तथा लोगों खसकर महिलाओं एवं बच्चों द्वारा दिये गये विकल्पों एवं सुझावों को शामिल करते हुए एक से दो पृष्ठों का महिला एवं बाल विकास के मौजूदा स्थिति पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन को धारदार बनाने के लिए महिला बाल विकास से जुड़े जी.पी.डी.पी. के प्रमुख लक्ष्यों को केन्द्रित करते हुए हालिया प्राप्त आंकड़ों से सुपुष्ट करना बेहतर होगा।

छठा कदमः ग्राम पंचायत द्वारा मसौदा (ड्रफ्ट) योजना की तैयारी

महिला बाल विकास को केन्द्रित कर ग्राम पंचायत विकास योजना (**GPDP**) तैयार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए **GPPFT** के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायगी जिसमें ग्राम पंचायत के महिला तथा बाल कल्याण स्थायी समिति के सदस्यों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक के उद्देश्य एवं कार्यबिन्दु (एजेन्डा) पर चर्चा करते हुए योजना सहयोगी दल द्वारा पंचायत में महिला बाल विकास पर तैयार किये गये स्थितिपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया जायगा। इसके बाद महिला बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वस्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता, सुरक्षा एवं संरक्षण एवं महिला एवं किशोरी सशक्तिकरण आदि को लेकर मुख्य मुद्दों/समस्याओं तथा सेवाओं की कमियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्राम पंचायत की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी एवं उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना गतिविधियां तय की जायेंगी। योजना गतिविधियों के चयन के समय बिना लागत वाले अथवा कम लागत बाले गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे कि कम खर्च में अधिक बड़ा परिणाम हासिल किया जा सके। पंचायतों की सुविधा के लिए महिला एवं बाल विकास हेतु कम लागत अथवा बिना लागत वाले आवश्यक गतिविधियों की सुची अनुबंध में दी जा रही हैं (देखें अनुबंध 5)

आपसी सहमति से वार्षिक गतिविधियां तय हो जाने के बाद आने बाले खर्च, लाभार्थियों की संख्या, हितग्राही का समाजिक वर्गीकरण के आंकलन के साथ उसे जी.पी.डी.पी के योजना सारिणी में डाला जायगा। ग्राम पंचायत एवं जी.पी.पी.एफ.टी की सुविधा के लिए योजना फार्मेट संलग्न है (देखें अनुबंध 6)। जब योजना फार्मेट पूरी तरह भर कर तैयार हो जाय तो अगले दिन इसे पंचायत भवन के बाहर अथवा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लिखित जन सुझाव हेतु प्रकाशित किया जायगा एवं सुझाव के लिए सात दिन का समय दिया जायगा। लिखित सुझाव अथवा टिप्पणी हेतु फार्मेट मार्गदर्शिका के अनुबंध भाग में दी जा रही है (देखें अनुबंध 7)।

सातवां कदमः ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण जन सुझावों को शामिल कर मसौदा (ड्रफ्ट) योजना को अंतिम रूप देना

सात दिनों के बाद पुनः ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलायी जायगी जिसमें प्राप्त लिखित सुझावों को विकास प्रक्षेत्रवार छंटनी की जायगी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि एक–एक लिखित सुझावों पर चर्चा की जायगी और महत्वपूर्ण सुझावों को अलग किया जायगा जो ग्राम पंचायत के अनुसार महत्वपूर्ण और जरूरी है तथा उसे प्रारुप योजना में जोड़कर व्यय सहित ग्राम पंचायत के महिला एवं बाल विकास योजना को अंतिम रूप दिया जायगा।

आठवां कदमः ग्राम सभा की बैठक में योजना का प्रस्तुतिकरण एव अनुमोदन

ये अंतिम किन्तु सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जबतक योजना पर ग्राम सभा का मुहर नहीं लग जाता वह क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत नहीं माना जायगा। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच करेंगे तथा उनके सहयोग के लिए ग्राम पंचायत सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे तथा इनके साथ–साथ जनपद द्वारा नामित किये गये सरकारी फेसीलिटेटर एवं विशेषज्ञ संस्था के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित के तौर पर उपस्थित रहेंगे। बैठक में पंचायत सचिव द्वारा सर्वप्रथम विगत ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही को पढ़कर उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों को सुनाया जायगा एवं विचारोपरान्त इसे संपुष्टि प्रदान की जायगी। इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से पंचायत सचिव द्वारा इस बैठक के विचारणीय बिन्दुओं के बारे में सदस्यों को अवगत कराया जायगा एवं ततपश्चात पंचायत में चले योजना निर्माण की प्रकियाओं पर प्रकाश डाला जायगा एवं अध्यक्ष की अनुमति से महिला एवं बाल विकास की स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा तथा पंचायत द्वारा तैयार किये गये जी.पी.डी.पी की प्रस्तुति की जायगी एवं उपस्थित सदस्यों का विचार अथवा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा उसपर चर्चा की जायगी। चर्चा उपरान्त योजना के प्रत्येक गतिविधियों एवं अनुमानित व्यय पर ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जायगा।

जैसा कि वर्तमान समय में कोविड–19 के कारण संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा बैठकों के लिए सुरक्षात्मक मानदंड निर्धारित किये गये हैं उन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ0ग0 शासन ने भी जी.पी.डी.पी के बावत आयोजित किये जाने वाले महिला सभा, बाल सभा तथा ग्राम सभा हेतु दिशानिर्देश दिये हैं (देखें अनुबंध 8) इस गाइडलाईन की मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

- यथा संभव खुले स्थलों पर ही वार्ड स्तर पर महिला एवं बाल सभा का आयोजन किया जाय जिसमें 20–25 लोग शामिल हों।
- जिन पंचायतों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है वहां गुगल मीट अप्लिकेशन द्वारा इ–ग्राम सभा आयोजित की जाये
- यदि किसी कारणवश भौतिक रूप से ग्राम सभा का आयोजन करना आवश्यक ही हो तो बड़े खुले मैदान में आयोजित किये जांय
- बैठक में अधिकतम 50–70 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- मास्क पहनना, दो मीटर की शरीरिक दूरी रखना, हैन्ड सेनिटाइजेशन और स्थल सेनिटाइजेशन के साथ–साथ थर्मल स्क्रीनिंग का पुख्ता इंतजाम हो।

- बैठक के दौरान खान पान की व्यवस्था नहीं रहेगी यहां तक कि पीने के लिए पानी भी सदस्यों को अपने साथ लाना होगा।
- सबों तक आवाज जा सके इसके लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाय और सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए 3 कॉर्डलेस माइक की व्यवस्था रहे जिसे तीन अलग व्यक्ति दस्ताने पहनकर पकड़े और संचालित करें बोलने वाले सदस्यों के हाथ में माइक नहीं पकड़ाया जायगा सिर्फ उनके आगे माइक दूर से रखा जायगा।
  अंततः कोविड सुरक्षा मानदंडों से बगैर समझौता किये ही बैठक का आयोजन किया जाय।

नौंवां कदमः ग्राम सभा अनुमोदित जी.पी.डी.पी को प्लानप्लस/इ–ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।

ग्राम सभा के बैठक के कार्यवाही की सरपंच द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ जी.पी.डी.पी दस्तावेज की हस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित प्रति तथा ग्राम सभा के बैठक के फोटोग्राफ की साफ्ट प्रति के साथ जनपद कार्यालय द्वारा नामित तकनीकी कार्यकर्ता को अपलोड हेतु समर्पित किया जाना चाहिए। यदि संबंधित ग्राम पंचायत में तेज गति की इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है तो यह कार्य ग्राम पंचायत भी किया जा सकता है ताकि समय और परेशानी से बचा जा सके इसके लिए पंचायत सचिव को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

अनुबंध

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

——00——

आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/11/2020

क्रमांक 130/वि.आ.प्र./वित्त/चार/2020: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा स्थानीय निकायों की निगरानी एवं कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय निगरानी समिति (High Level Monitoring Committee) का गठन किया जाता है–

(1) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	– अध्यक्ष
(2) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	– सदस्य
(3) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग	– सदस्य
(4) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	– सदस्य
(5) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–सदस्य
(6) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	–सदस्य
(7) भार–साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	–सदस्य
(8) संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	– सदस्य सचिव

2 समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जिन प्रयोजनों के लिये अनुदान राशि प्राप्त हो रही है, उसका उपयोग उन्ही प्रयोजनों/ उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है।

3. यह समिति सम्बंधित विभागों से समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध मे वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण, आवश्यक अनुमोदन और लक्ष्यों की प्राप्ति की भी समीक्षा करेगी।

4. समिति की बैठकें आवश्यकता अनुसार समय–समय पर की जा सकेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समिति की बैठक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक छःमाही में कम–से–कम एक बार आयोजित हो। समिति आवश्यकता अनुसार आवश्यक जा-नकारी के साथ समिति के सदस्यों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी बैठक हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

17/11/2020

(डॉ. ए.के.सिंह)

संयुक्त सचिव

दूरभाष क्रमांक– 0771–2510738

अनुबंध 2

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, जिला रायपुर

//आदेश//

क्रमांक/पंग्राविवि/14वेंवित्त/2018/ 128 अटल नगर दिनांक 14.09.2018

भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय के पत्र क्रमांक **D.O. No. 14016/02/2018-PC दिनांक 13 अगस्त 2018** द्वारा सबकी योजना, सबका विकास अभियान दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक चलाया जायेगा। इस अभियान में GPDP निर्माण के लिए राज्य स्तर द्वारा GPDP cell का गठन किया जा रहा है। जिसमें अधिकारी व कर्मचारी सदस्य होगें।

क्र.	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1.	श्री आर. के. झा	संयुक्त संचालक	9424131744
2.	श्री आर.डी.श्रीवास	उपायुक्त, मनरेगा	9406007243
3.	श्री दिनेश अग्रवाल	सहायक संचालक	8319635992
4.	श्रीमती एलिस लकड़ा	कार्यक्रम प्रबंधक	9165260199
5.	श्री आनंद राज सोनी	कार्यक्रम प्रबंधक	9669039001
6.	श्रीमती कृतिका मौर्य	राज्य समन्वयक	8103371878
7.	श्रीमती रूपाली गुप्ता	राज्य समन्वयक	9179046528
8.	श्री ईशांत चंद्राकर	तकनीकी सलाहकार	9179683330
9..	श्री सूरज भान	प्रोग्रामर	7489399942

जो उक्त अभियान की पूर्णता तक पंचायत संचालनालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।

14/09/18

(पी.सी.मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/14वें वित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/ 128 **अटल नगर, दिनांक** 14.09.2018

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
3.. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।
4. समस्त.....अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ एवं सूचनार्थ

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग

अनुबंध–3

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/1079/R-2803/पंग्रविवि/22-1/2020 दिनाँक- 10-03-2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय :– **पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण बाबत।**

संदर्भ :– **छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/15वें वित्त/1143/पंग्राविवि/2020 दिनांक 03.02.2021**

––00––

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण को निरस्त कर पुनः जारी किया जा रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि वितरण का अनुपात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य 75 : 15 : 10 बैंड के अनुरूप प्रावधानित है। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विकास योजना बनाकर व्यय किया जा सकता है। जिला व जनपद पंचायत की विकास योजना बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1/ जनपद पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जनपद पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जायेगा।

2- सामान्य सभा में कार्ययोजना निर्माण समिति द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जनपद पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जायेगा, जो अपने विषय से संबंधित कार्ययोजना बनायेगी। वर्किंग ग्रुप में निम्नानुसार सदस्य रखा जा सकता है :–

- सबंधित विषय के जनपद स्तर के दो अधिकारी

- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ
- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजिविका मिशन (एनआरएलएम) के एक विकासखण्ड स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जनपद स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5. वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्व से गठित जनपद पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा। वर्किंग ग्रुप के कार्यों की मॉनिटरिंग उनसे समन्वय तथा समय–सीमा में कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी ***"जनपद पंचायत योजना निर्माण समिति" की होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :–***

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	**अध्यक्ष**
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	**सदस्य सचिव**
3	खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4	खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
6	पशु चिकित्सक, पशु पालन विभाग	सदस्य
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
9	मंडल संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
10	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी विभाग	सदस्य
11	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
12	जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
13	कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
14	संयोजक, बिहान	सदस्य

6- अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जनपद स्तर पर पृथक से समिति का गठन किया जाएगा। ***समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे*** :-

1	अध्यक्ष, जनपद पंचायत	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत	उपाध्यक्ष
3	सदस्य, जिला पंचायत (संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र से)	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य सचिव
5	दो सरपंच (संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र से) जनपद अध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा से मनोनीत	सदस्य
6	अध्यक्ष, जनपद पंचायत के स्थाई समिति	सदस्य
7	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
8	एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि	सदस्य
9	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी विभाग	सदस्य
10	ब्लाक के लीड बैंक प्रबंधक	सदस्य
11	एक स्वायत्त विशेषज्ञ	सदस्य
12	अभियांत्रिकी का एक इंजीनियर	सदस्य

7- निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए ***"जनपद पंचायत योजना निर्माण समिति"*** को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी योजना स्वीकृति के उपरांत समय-समय पर रिपोर्ट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

8- योजना बनाने का मुख्य आधार विकास अन्तराल की तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का प्रस्ताव होगा। जनपद पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए- वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10- अनुमोदित जनपद विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal से PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11- कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से लिये जाने का प्रावधान है।

12- जनपद विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जनपद कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का ऑडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) द्वारा सामयिक ऑनलाईन किया जायेगा।

14- किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यों की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया राज्य शासन के द्वारा संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार सम्पादित होगी।

15- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा।

16- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

2/ जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जिला पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जावेगा। निर्णय सर्वसम्मति द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

2- सामान्य सभा में योजना निर्माण समिति द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो अपने विषय से संबंधित कार्ययोजना बनायेगी।

- संबंधित विषय के जिला स्तर के दो अधिकारी
- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ
- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के एक जिला स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जिला स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5- वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्व से गठित जिला पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा। वर्किंग ग्रुप के कार्यों की मॉनिटरिंग उनसे समन्वय तथा समय–सीमा में कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी ***"जिला पंचायत योजना निर्माण समिति" की होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :–***

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य सचिव

3	वनमंडलाधिकारी	सदस्य
4	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (DPSO)	सदस्य
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)	सदस्य
8	जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
9	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
10	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
11	उप संचालक, (पंचायत)	सदस्य
12	उप संचालक, पशु पालन विभाग	सदस्य
13	उप संचालक, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
14	समन्वयक, बिहान	सदस्य
15	सहायक परियोजना अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
16	दो एन.जी.ओ.	सदस्य

6- अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जिला स्तर पर पृथक से समिति का गठन किया जाएगा। ***समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे*** :-

1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	**अध्यक्ष**
2	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	**सदस्य सचिव**
4	समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष (संबंधित जिला पंचायत क्षेत्र के)	सदस्य
5	सभापति, जिला पंचायत के स्थायी समिति	सदस्य
6	वनमंडलाधिकारी, वन विभाग	सदस्य
7	एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि	सदस्य
8	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
9	जिला के लीड बैंक प्रबंधक	सदस्य
10	एक सहकारिता विशेषज्ञ	सदस्य
11	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	सदस्य

7. निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए ***"जिला पंचायत योजना निर्माण समिति"*** को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी योजना स्वीकृति के उपरांत समय-समय पर रिपोर्ट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

8- योजना बनाने का मुख्य आधार विकास अन्तराल की तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का प्रस्ताव होगा। जिला पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक जनपद पंचायतों को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता में लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए- वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10. अनुमोदित जिला पंचायत विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal में PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11. कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

12. जिला पंचायत विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13. जिला पंचायत पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का ऑडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।

14. किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यों की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया राज्य शासन के इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

15. जिला पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

16. पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त जिला व जनपद पंचायत की कार्ययोजना बनाने के लिए भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी समरेखा पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./1030/R-28403/[illegible]/22-1/2018 दिनांक- 10/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अध्यक्ष समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, [illegible] भवन, [illegible], रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रम. सं	योजना निर्माण गतिविधि/प्रक्रिया	लगने वाला समय (दिन)	पूर्ण होने की तिथि
1.	वातावरण निर्माणः– तिरछी काट में ग्राम भ्रमण दिवाल लेखन एवं जनसंपर्क द्वारा		
2	प्राथमिक सर्वेक्षण–महिला एवं बच्चों से संबंधित आंकड़ा संग्रह		
3.	एवं द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) मिशन अंत्योदय आंकड़ों तथा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को अद्यतन करना		
4.	द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) मिशन अंत्योदय आंकड़ों तथा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को अद्यतन करना		
3.	सेवाओं तथा सुविधा की स्थिति तथा वर्तमान कमियों का पता लगाना I. सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण II. वार्ड स्तर पर महिला सभा तथा बाल सभा का आयोजन कर महिलाओं एवं बच्चों अलग–अलग चर्चा कर समस्याओं का आंकलन एवं गैप का पता लगाना		
4.	महिला तथा बाल विकास से संबंधित परिस्थिक विश्लेशण तथा प्रतिवेदन की तैयारी		
5.	ग्राम पंचायत द्वारा योजना मसौदा (ड्राफ्ट) की तैयारी		
6.	मसौदा योजना (ड्राफ्ट) का सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशन तथा जन सुझावों का आमंत्रण		
7.	ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए मसौदे को अंतिम रुप		
8.	कोविड 19 सुरक्षा मानकों के साथ ग्राम सभा की बैठक का आयोजन एवं योजना का अनुमोदन		

अनुबंध–5

महिला एवं बाल विकास से संबंधित कम लागत या बिना लागत की गतिविधियां

1. पंचायत क्षेत्र में सभी गर्भवतियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एवं पोषाहार जैसी सविधाओं को सुनिश्चित करना।
3. आपातकालीन प्रसव के लिए 24 घंटे / 7 दिन परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र की नियमित निगरानी करना।
5. सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को अवश्यकतानुसार वजन मशीन तथा लंबाई मापक स्टैंड प्रदान करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि पंचायत के स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाये।
7. सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने की सुविधा और कचरा प्रबन्धन प्रणाली को बढ़ावा देना।
8. सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने हेतु पंचायत के सभी जल स्त्रोतों के पानी की नियमित गुणवत्ता जाँच करना एवं पेयजल के खुले स्त्रोतों की प्रबंधन करना और नियमित क्लोरिनीकरण करना।
9. स्कूलों और आंगनबाड़ी में मध्यान्ह भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने को प्रोत्साहित करना।
10. गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी) में उपचार सुनिश्चित करना।
11. सार्वजनिक स्थल जैसे हाटबाजार, बस स्टैंड, सामुहिक बैठक स्थल इत्यादि में सामूहिक शौचालय की व्यवस्था एवं उसके रख–रखाव की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
12. खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्वाद के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों की नियमित निगरानी।
13. पंचायत में हर कार्यस्थल जहाँ महिलाएँ कार्यरत है वहाँ नवजात बच्चों की देख–रेख की सुविधा सुनिश्चित करना।
14. स्कूलों और आँगनबाड़ियों में पोषण बाड़ी को प्रोत्साहित करना।
15. ग्राम पंचायत में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Manegment) सुनिश्चित करना।
16. शिक्षा संबंधी गतिविधियां
17. स्कूलों की उपस्थिति अभियान आयोजित करने में सहायता करना।
18. अनियमित एवं शालात्यागी बच्चों को चिन्हित करके उनके अभिभावकों से परामर्श कर उनको स्कूल भेजना सुनिश्चित करना।
19. स्कूलों की लगातार दौरा कर सभी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
20. ग्राम पंचायतों के सभी स्कूलों में सभी बच्चों के प्रवेश के लिए वार्षिक नामांकन अभियान शुरू करना।
21. ग्राम पंचायत में महिलाओं और लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण के अवसरों की पहचान और जीपीडीपी में शामिल कराना।
22. सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियां
23. पी.सी.पी.एन.डी.टी.अधिनियम ;प्रसव पूर्वजाँच एवं लिंग आधारित गर्भपातद्ध के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार और जागरूकता अभियान; विशेष रूप से युवा/भावी जोड़ी के बीच आयोजन करें।
24. लिंग परीक्षण के मामलों का पता चलने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही।
25. होटलों आदि में लगे बच्चों के बालश्रम की निगरानी करना।
26. शत प्रतिशत जन्म पंजीकरण एवं शत प्रतिशत जन्म प्रमाणपत्रा की उपलब्धता 21 दिन के अन्दर सुनिश्चित करना।

27. दुर्गम क्षेत्रा में बसे आदिवासी समुदायों के बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए विशेष अभियान का आयोजन करना।
28. बाल श्रम की घटनाओं का पता लगाना और संबधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना।
29. नशीले पदार्थ मुक्त विद्यालय क्षेत्र (100 मीटर ज़ोन) सुनिश्चित करना।
30. स्कूल क्षेत्र दर्शाने हेतु संकेत बोर्डों को प्रदर्शित करना।
31. अन्यान महत्वपूर्ण बिना लागत/कम लागत वाली गतिविधियां
32. अपने पंचायत में बाल दिवस के मौके पर बालसभा का आयोजन करना एवं बाल केन्द्रित विकास योजना तैयार कर ग्राम पंचायत विकास योजना ;जी0पी0डी0 पी0 में शामिल करना।
33. पंचायत क्षेत्रा में खेल के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना। मैदान का समतलीकरण, खेल उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के खरीद/निर्माण और रखरखाव करना।
34. ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण,चार प्रसव पूर्व जॉच, संस्थागत प्रसव, प्रसवपश्चात देखरेख, जन्म पंजीकरण आदि संकेतकों का निगरानी करना।
35. पोषण और आंगनबाड़ी के कामकाज की जानकारी हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना।
36. ग्राम पंचायत के अधीनस्थ समितियों ;ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, बाल संरक्षण समिति, महिला मंडल को मजबूत और सकिय करना।
37. पंचायतों में सभी विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
38. गरीब और कमजोर परिवारों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।
39. जल सुरक्षा मुद्दों पर समुदाय को संवेदनशील बनाना तथा जल सुरक्षा (Water Security) और स्वच्छता योजना तैयार करना।
40. खुले में शौच मुक्ति (ODF) को बढ़ावा देने और शौचालय का उपयोग करने के लिए बच्चों को अगुवा के रूप में उपयोग करना।
41. ग्राम पंचायत में बाल सभाओं का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चों/किशोरों को योजना बनाने और निर्णय की प्रकियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना
42. ग्राम पंचायत में सेवाओं की पहुंच एवं बच्चों की पहचान हेतु डोर टू डोर सर्वे करना (गर्भवती महिलाओं,स्तनपान कराने वाली माताएं, 0–6 वर्ष,6–10 वर्ष,10–14 वर्ष और 14–18 वर्ष के बच्चों का सर्वे)! ग्राम पंचायत में नवम्बर माह में बच्चों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करवाना तथा इसका प्रावधान करना।
43. ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करने हेतु ग्राम सभा बैठक और ग्राम स्तरीय बैठक के दौरान एजेंडा (Agenda) या चर्चा के बिन्दु के रूप मे शामिल करना।

वार्षिक योजना

1. योजना वर्षः–...
2. ग्राम पंचायत का नामः–...
3. जनपद का नाम
4. जिला का नाम

क्रम सं0	गतिविधि का प्रकार*	गतिविधि का नाम*	गतिविधि का विवरण*	सेक्टर/फोकस एरिया*	क्रियान्वयन एजेन्सी/विभाग	पूर्ति होने वाली आवश्यकताएं	गतिविधि से लाभान्वित होने वाले वर्ग(अनु0जा0/अ0ज0जा0/सामान्य	क्या गतिविधि खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए है या दोनों के लिए?	क्या गतिविधि दिव्यांगों के लिए है? हाँ/नहीं	क्या गतिविधि आपदा प्रबन्ध से जुड़ा है? हाँ/नहीं	क्या गतिविधि से लोगों के जीवनयापन के लिए आय/रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी? हाँ/नहीं	क्या गतिविधि बिना लागत खर्च/कम खर्च वाली है? हाँ/नहीं	गतिविधि नई/चालू/रख–रखाव अथवा मरम्मत से जुड़ी है?	गतिविधि आरंभ की तिथी	कुल अवधि (महीना/दिन)	कुल अनुमानित लागत खर्च	संभावित परिणाम	कॉलम 18 के अनुसार अगर गतिविधि चालू है तो चालू होने का प्रकार (मजदूरी/मानदेय/कार्यालय व्यय(किराय/रेट/टैक्स) यात्रा व्यय	सृजित परिसम्पत्ति का प्रकार	सृजित परिसम्पत्ति का उप प्रकार	अभियुक्ति	कुल संभावित लाभार्थी	आउटपुट का प्रकार (फॉर्मेट 2ए,बी,सी,डी)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

* marked fields are mandatory.
Plan Unit type selection, from one of the District Panchayat, block Panchayat & Equivalent, village panchayat & equivalent.

B1. For RLB (District Panchayat/Block Panchayat /Village Panchayat)

A. If Plan Unit is District Panchayat

1. Name of District panchayat

B. If Plan Unit is Block Panchayat Panchayat & equivalent

1. Name of District panchayat
2. Name of Block panchayat & equivalent

C. If Plan Unit is Village Panchayat & Equivalent

1. Name of District panchayat
2. Name of Block panchayat & equivalent
3. Name of Village panchayat& equivalent

Common for all plan Units

6. Type of activity (Public Works or Beneficiary Oriented Programme
7. Name of the Activity
8. Description of the Activity.
9. Selection of Work Focus Area (As per state mapping)
10.Implementing Agency (ZP,BP or GP or Line Dept)
11. Needs to be fulfilled:-The suggestions attached to the work. The suggestion that is to be attached to the work should be of same focus area or should be given without focus a
12 . Activity for SC/ST/General
13.Whether activity is exclusively for Woman , children or both ?
14. Whether activity is exclusively for differently abled person ? (Yes /No)
15.Whether activity is expected to enhance livelihood opportunities for the people ?
(Yes/No)
16. Is the activity part of disaster management plan ? (Yes/No)
17. Is this a cost less activity (Yes/No)
18. Activity is (fresh / Operational /
Maintenance)
19. Planned Start (Month)

20. The duration in months and in days. The total days should not be more than 30 days.
21. Total Estimated Cost (if a Activity is No against Sl No. 17)
22. Expected results (Ia a Actvity is Yes against Sl No. 17)
23. Operational Type (if Activity is Operational against Sl no. 18) Value can be one of the following Wages , Honorariam , Office Expence , (Rent , Rate & Taxes) , Travel Expenses
24. Asset Category type If Activity is Maintinance against Sl No. 18) Value can be one of the following Given Below
25. Asset Sub Category type If Activity is Maintinance against Sl No. 18)Value can be one of the following Given Below
26. Remarks (If Activity is Operational / maintenanace against Sl No. 18)
27. Total expected Beneficiaries (SC, ST , General) from ttaken activity
28. Output parameter from one or more of Asset or Capacity Building/Training or Service, . (Will be enter in format 2A,2B,2C As per output parameter)

स्त्रोतः प्लान प्लस भी–2, भारत सरकार

अनुबंध–7

मसौदा योजना पर जन सुझाव हेतु फॉर्मेट

Format 1 - (Suggestions from Public)

		प्रेषित											
कम सं	सुझाव	राज्य *	जिला पंचायत *	जनपद पंचायत *	ग्राम पंचायत *	सुझाव देने वाले का नाम*	क्या सुझावदाता उसी पंचायत के निवासी है हां / नहीं*	पता*	सुझाव *	कार्रवाई *	सुझाव के मुख्य बिन्दु *	अपेक्षित परिणाम *	अभियुक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													

* marked fields are mandatory.

1) Suggested by can be Citizen/Individual , SHG , NGO

If suggestion is forwarded to RLB (State ,District panchayat , Block Panchayat , Village Panchayat)

2) Name of the State whose plan unit, the suggestion is being forwarded to.

3) Name of the district panchayat.

4) Name of the Block Panchayat & Equivalent.

5) Name of the Village Panchayat & Equivalent.

6) Name of the Suggester

7) Resident of Panchayat Yes or No

8) Address of Suggester

9) Suggestion

10) Action -- ie Approved /Rejected by Gram Sabha

11) Focus Area under which this Suggestion Approved

12) Expected Bebefits of Approved Suggestion

13) Remarks-- If suggest is Rejected then remark if any

स्त्रोतः प्लान प्लस भी–2, भारत सरकार

अनुबंध–8

वर्ष 2022–23 हेतु हमर गांव हमर योजना बनाने संबंधी राज्य शासन का दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक-3675/R-3026/22-1/2021 दिनांक 21/09/2021
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में "सबकी योजना सबका विकास" अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण बाबत।

संदर्भ :– भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्रमांक D.O. No. M-11/2/2021-CB दिनांक 06 अगस्त 2021

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जन योजना अभियान (पीपीसी) "सबकी योजना सबका विकास" अन्तर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण प्रक्रिया को सहभागी तथा पारदर्शी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया *02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक* किया जाना है। भारत सरकार द्वारा "सबकी योजना सबका विकास" अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लिये समय–सीमा निर्धारित की गई है।

इस अभियान में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1079/R–2830/पंग्राविवि/22–1/2020 दिनांक 10.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण किया जाना है।

इस हेतु राज्य, जिला, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए फैसीलिटेटर की नियुक्ति की जा रही है। सभी नोडल अधिकारी, फैसीलिटेटर (ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक) सभी विभागो के नोडल अधिकारी व उनके मैदानी अमले को जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022–23 की "सबकी योजना–सबका विकास" के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण हेतु प्रशिक्षण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. "सबकी योजना–सबका विकास" के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) तैयार करने हेतु प्रशिक्षण जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जावे।
2. ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं प्रशिक्षण संस्थान TPSIPRD निमोरा, में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक (फैसीलिटेटर) का प्रशिक्षण जिला पंचायत संसाधन केन्द्र/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र में दिया जाएगा।

4. सक्रिय स्व सहायता समूह के सदस्य व स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य विभागों के मैदानी अमलों का प्रशिक्षण भी जिला पंचायत संसाधन केन्द्र/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

5. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं ग्राम पंचायत के फैसीलिटेटर तथा लाईन विभाग के स्त्रोत व्यक्तियों की सूची gpdp.nic.in पोर्टल पर दिनांक 20.09.2021 तक अनिवार्यतः उपलब्ध (अपलोड) किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार समय–सीमा में कार्यवाही करते हुये मास्टर ट्रेनर्स एवं फैसीलिटेटर का प्रशिक्षण आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

RP

(रेणु जी पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक–3676/R-3026/22-1/2021 दिनांक – 21/09/2021
प्रतिलिपि :–

1- आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ विकास भवन, भूतल, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
2- आयुक्त, मनरेगा, विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
3- संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं प्रशिक्षण संस्थान निमोरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
5- मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं अध्यक्ष समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6- मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7- मिशन संचालक, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, (SRLM) विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
8- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
9- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
10- समस्त उपसंचालक, पंचायत जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

RP

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

"सबकी योजना सबका विकास" जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण के अंतर्गत प्रशिक्षण

1. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिनांक 22 सितम्बर 2021 – SIRD

क.	प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले जिले/संस्था का नाम	मास्टर ट्रेनर्स/स्त्रोत व्यक्तियों की संख्या
1	जिला पंचायत संसाधन केन्द्र/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र	प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान से 01 संकाय सदस्य
2	जिला पचायत – मास्टर ट्रेनर	प्रत्येक जिला पंचायत से 05 (शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संशाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)
3	जिला पंचायत से एक तकनीकी अधिकारी (जिला समन्वयक)	प्रत्येक जिला पंचायत से 01

2. जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 24 से 25 सितम्बर 2021 – DPRC

क.	प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रतिभागी
1	सभी जिला नोडल अधिकारी का प्रशिक्षण
2	सभी बीपीआरसी संकाय सदस्य का प्रशिक्षण
3	सभी विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी का प्रशिक्षण (शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संशाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)
4	विकासखण्ड प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर
5	जनपद पंचायत से एक तकनीकी अधिकारी

3. विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 27 से 30 सितम्बर 2021 – BPRC

क.	प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रतिभागी
1	सभी विभागों के फ्रन्टलाईन अधिकारी का प्रशिक्षण
2	सभी सरपंच/पंच ग्राम पंचायत का प्रशिक्षण
3	सभी ग्राम पंचायत के सचिव का प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 3611 / 3026 / 22–1 / 2021 अटल नगर, दिनांक 16/9/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय– छत्तीसगढ़ राज्य मे "सबकी योजना सबका विकास" अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण बाबत।

संदर्भ– भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्रमांक D.O. No.M-11/2/2021-CB दिनांक 06 अगस्त 2021

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जन योजना अभियान (पीपीसी) "सबकी योजना सबका विकास" 02 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश मे किया गया था, ताकि ग्राम पंचायतो को अधिक समग्र और समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने मे सक्षम बनाया जा सके। संविधान की ग्यारहवी अनुसूची मे सूचीबद्ध 29 विषयो से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / लाइन विभागो की भागीदारी प्रक्रिया अभिसरण योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020–21 में इसी सिद्धांत पर जिला पंचायत / जनपद पंचायत विकास योजना की शुरुआत की गयी थी । यह अभियान राज्य पंचायती राज विभागो, लाइन विभागो और केंद्रीय मंत्रालयो के सक्रिय सहयोग से सफलतापूर्वक चलाया गया।

जिला पंचायतो, जनपद पंचायतो एवं ग्राम पंचायतो की संतोषजनक भागीदारी से प्रेरित होकर अब योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने और इसे सहभागी तथा पारदर्शी बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया ***02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक*** फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अतः "सबकी योजना सबका विकास" अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लिये निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

क्र	समय–सीमा	दिनांक
1	राज्य / जिला / जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का नामांकन	10 सितम्बर 2021
2	Facilitators और अन्य Stakeholders के लिये ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्धारण	10 सितम्बर 2021
3	मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	15 सितम्बर 2021
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये Facilitators की नियुक्ति	15 सितम्बर 2020
5	ग्राम सभा / Virtual ग्राम सभा / पंचायत समिति की बैठक का निर्धारण	20 सितम्बर 2021
6	Facilitators का प्रशिक्षण	20 सितम्बर 2021
7	सहयोगी विभागो के मैदानी अमलो की नियुक्ति	20 सितम्बर 2021
8	जन सूचना बोर्ड की जियोटैग फोटो अपलोड करना	30 अक्टूबर 2021
9	जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत (DPDP, BPDP&GPDP) को प्लान प्लस एप्लीकेशन में अपलोड करना	31 जनवरी 2022

TPSIPRD NIMORA

1561 कार्यालय 23/09/21

Director

जैसा कि स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 की जिला पचायत, जनपद पचायत एवं ग्राम पचायत (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण एक विस्तृत गतिविधि होगी जिसमें सभी 29 क्षेत्र/विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की भागीदारी होगी। इस पूरी प्रकिया की व्यापक ऑनलाईन एव ऑफलाईन मॉनिटरिंग होगी। पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक जिला के ग्राम पचायतो की रैडम रूप से मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जावेगी। इस कार्य में Facilitator की मुख्य भूमिका होगी। Facilitators के मुख्यत: दो कार्य होंगे –

1. सभी विभागो से समन्वय कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण करना।
2. सभी जानकारियो एव जिला पंचायत, जनपद पचायत एवं ग्राम पचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण को ऑनलाईन करना।

अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये पृथक–पृथक Facilitator नियुक्त किया जावे। इसके लिये आवश्यकतानुसार सचिव, ग्राम पंचायत को ही Facilitator बनाया जावे। कार्य व्यापक है, अत: योग्य अधिकारी को ही ग्राम पचायतवार Facilitator नियुक्त करें तथा आदेश की प्रति एक सप्ताह मे पचायत सचानलालय में प्रेषित करें जिससे पचायती राज मत्रालय भारत सरकार को सूचित किया जा सके।

"सबकी योजना सबका विकास" अभियान की सभी गतिविधियो में COVID-19 दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन – जैसे भौतिक दूरी, सभी प्रतिभागियों द्वारा मास्क का प्रयोग एवं स्वच्छता का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(रेणु जी पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./15वे वित्त/1137/पग्राविवि/2020/3612 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16/9/2021

प्रतिलिपि –

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ। निमो रु
2- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3- समस्त उप संचालक, पंचायत जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नोट